2024/248

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री मनोज अग्रवाल पुत्र स्व. श्री रामलाल निवासी पुराना बाजार फतह नगर उदयपुर जिला उदयपुर।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005 मुकदमा नं. 51 वर्ष 2024

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
25.09.2024	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनांक 08.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अल्पेश मार्बल प्रा. लि. भारजा द्वारा रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में लीज रेन्ट संशोधित करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त पत्रावली की सम्पूर्ण प्रति मय पटवारी रिपोर्ट, ऑर्डरशीट व रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा की गई समस्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को दिनांक 08.07.2024 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अल्पेश मार्बल प्रा. लि. भारजा द्वारा रेस्पोडेन्ट के कार्यालय में लीज रेन्ट संशोधित करने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। उक्त पत्रावली की सम्पूर्ण प्रति मय पटवारी रिपोर्ट, ऑर्डरशीट व रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा की गई समस्त कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार पिण्डवाडा को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified

Digitally signed by Alpa Choudhary
Date: 2025.02.12 15:36:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner